



Neutral Citation No. – 2026:AHC:1260

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका - बी संख्या - 5331 वर्ष 2025

राहुल कुमार यादव और 3 अन्य

याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के वकील

: नवीन कुमार राय, विवेका नंद राय

प्रतिवादी के वकील

: सीएससी

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति।

1. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेकानंद राय और स्थायी अधिवक्ता के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की बात सुनी।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित तहत के लिए दायर की गई है:-

"(ए) प्रतिवादी संख्या 2/उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड के माननीय सदस्य, प्रयागराज को दिनांक 01.09.2025 के स्थगन आवेदन पर निर्णय लेने का आदेश देने और निर्देश देने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो पुनरीक्षण संख्या 4045/2025 (कंप्यूटर केस संख्या AL20251429004054) (राहुल कुमार यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में धारा के तहत दायर किया गया है।

यूपी राजस्व संहिता 2006 की धारा 210 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबित मामले को निर्धारित समय सीमा के भीतर शीघ्रता से निपटाया जाए।

(ख) प्रतिवादियों को विवादित भूमि से याचिकाकर्ताओं को बेदखल न करने और प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष पुनरीक्षण याचिका लंबित रहने के दौरान यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत दायर पुनरीक्षण याचिका और याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर स्थगन याचिका राजस्व बोर्ड के समक्ष लंबित है। उन्होंने आगे बताया कि प्रतिवादी पक्षों की ओर से राजस्व बोर्ड के समक्ष आपति याचिका दायर की गई है। उन्होंने आगे कहा कि राजस्व बोर्ड ने मामले की सुनवाई की है, लेकिन स्थगन याचिका पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण याचिका में चुनौती दिए गए आदेश द्वारा मामले को उप-विभागीय अधिकारी के समक्ष वापस भेज दिया गया है, इसलिए लंबित पुनरीक्षण में अंतरिम आदेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आवश्यक है, अन्यथा लंबित पुनरीक्षण निष्फल हो जाएगा। उन्होंने निवेदन किया कि लंबित पुनरीक्षण और स्थगन याचिका के शीघ्र निपटान के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं।

4. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने हैं और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

5. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत दायर पुनर्विचार याचिका और स्थगन आवेदन प्रतिवादी संख्या 2-राजस्व बोर्ड के समक्ष लंबित है। इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है कि स्थगन आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है कि पुनर्विचार याचिका में चुनौती दिए गए आदेश द्वारा मामले को उप-विभागीय अधिकारी के समक्ष वापस भेज दिया गया है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 2- राजस्व बोर्ड को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर स्थगन आवेदन पर आवश्यक आदेश पारित करे। यह भी निर्देश दिया जाता है कि पुनरीक्षण याचिका पर स्थगन आवेदन पर आदेश पारित होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाए।

6 जनवरी, 2026

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"